691

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403 ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPC/18/2136 - 2142 दिनांक :– 28-06-2018

समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय)
स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान सरकार

विषयः– दिनांक 02.07.2018 को आयोजित "विडियो कांफ्रेंस" मे एल.ई.डी. प्रोजेक्ट के भुगतान की समीक्षा करने बाबत।

उपरोक्त क्रम मे लेख है कि दिनांक 02.07.2018 को प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानिय निकाय विभाग एवं आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय के साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी) एवं आर.यु.आर.आई.पी. द्वीतीय चरण की समीक्षा हेतु विडियो कांफ्रेंस एनआईसी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय में आयोजित की जावेगी। इस क्रम मे पत्र क्रमांक एफ (55) / सीई / डीएलबी / एमजेएसए / फेज–2 / 18 / 54653–853 दिनांक 22.06.2018 द्वारा आपको सूचित किया जा चुका है। इस विडियो कांफ्रेंस मे निम्नलिखित बिंदु की भी समीक्षा की जावेगी।

एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट प्रोजेक्ट भुगतान के लिये अन्तिम तिथि क्रमशः 20.06.2018, 26.06. 2018 एवं 30.06.2018 निर्धारित की गयी थी। लेकिन निकायो द्वारा अभी तक भुगतान नही किया गया है। निकायवार बकाया राशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

उपरोक्त क्रम में आपके कार्यालय व संबंधित निकायो को निम्नलिखित पत्रों व ई–मेल द्वारा भिजवाये जा चुके है।

1 एफ 55( ) Engg. / CE / DLB / ESPC / 18 / 944 – 950 दिनांक 11.05.2018।
2 एफ 55( ) Engg. / CE / DLB / ESPC / 18 / 1191–1250 दिनांक 25.05.2018।
3 एफ 55( ) Engg. / CE / DLB / ESPC / 18 / 2061–2122 दिनांक 25.06.2018।

अतः विडियो कांफ्रेंस मे उक्त बिंदु पर भी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का श्रम करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPC/18/ 2143 – 2339 दिनांक :– 28-06-2018

प्रतिलिपि :–

1 निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3 आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।

E:\light cell 21-12-2017\E\GUPTA SIR\HINDI LATER

4 प्रोग्रामर, आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
5 सीएमएआर, निदेशालय।
6 तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सेण्टर, शासन सचिवालय, जयपुर।
7 रक्षित पत्रावली।

(एम.के.बैरवा) 21/6/2018
अति. मुख्य अभियंता (विद्युत)

344

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403 ई–मेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPC/18/1291 – 1250 दिनांक :– 25-05-2018

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका

जौधपुर / भरतपुर / बीकानेर / आबुरोड / अकलेरा / बाली / बालोतरा / भीनमाल / छबड़ा / डीडवाना / आमेट / कुचामन सिटी / नगर / नागौर / पिड़ावा / प्रतापगढ़ / रानखुर्द / सांगोद / शिवगंज / सोजत / सुमेरपुर / सुरजगढ़ / टोडारायसिंह / कानोड़ / फलोदी / केशवरायपाटन / खण्डेला / लाखेरी / लालसोट / नैनवा / रामगढ शेखावाटी / सांगवाडा / तारानगर / कुशलगढ / माण्डलगढ / रामगजमण्डी / बिलारा/ पीपाड सिटी / पुष्कर / चौमू / जैसलमेर / फतेहनगर रानदाड / सादड़ी / सलुम्बर / राजसमद / रतनगढ / कपासन / भिण्डर / नोखा / रतननगर / छापर / जौबनेर / खेतडी / देवली / बेगुं / पोकरण / माँगरोल / विद्याविहार।

विषयः– ईईएसएल कंम्पनी को भुगतान करने बाबत्।
संदर्भः– पत्र क्रमांकःप 6 (ट) (319)लेखा / डीएलबी / अरबन सैस / 2016 / 2016 / 2442–534 दिनांक 03.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऊर्जा संरक्षण के तहत किये गये एलईडी स्ट्रीट लाईट प्रोजेक्ट कार्य का भुगतान "अरबन सैस" की राशि में से, स्ट्रीट लाईट के विद्युत निगम से प्राप्त बिलो के भुगतान के पश्चात् शेष राशि में से किया जाना है। आपके निकाय में विद्युत निगम के बिलो कि राशि नगरीय उपकर से ज्यादा है, और समायोजन उपरान्त कोई भी "अरबन सैस" की राशि शेष नही रहती है। इस बाबत् इस कार्यालय का पत्र क्रमांकःप 6 (ट) (319)लेखा / डीएलबी / अरबन सैस / 2016 / 2442–534 दिनांक 03.05.2018 जारी किया जा चुका है। इस कारण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्ट्रीट लाईट प्रोजेक्ट की भुगतान योग्य राशि आपके निकाय के लिए स्वीकृत नही की गयी व आपके P.D. Account में नही भिजवायी गयी।

जबकि एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाने उपरान्त विद्युत बिलो में बचत होनी चाहिए। इस बाबत् आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विद्युत बिलो के प्रमाणिकरण करने में पूर्व में दिये गये पत्र क्रमांक 28361 दिनांक 20.02.2018 एवं दिशा–निर्देश परिपत्र–5 की पालना सुनिश्चित करें।

अत "अरबन सैस" की राशि शेष नही होने की स्थिति में आप सभी निकायो को निर्देशित किया जाता है कि आप ईईएसएल कम्पनी द्वारा किये गये कार्य का भुगतान, एमओयु प्रावधानो के अनुरूप अपने स्तर पर निकाय की आय से दिनांक 31.05.2018 तक किया जाना सुनिश्चित करे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :- 25-05-2018

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPC/18/1251 - 1260
प्रतिलिपि:-

1. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. उपनिदेशक (क्षेत्रिय), स्वायत्त शासन विभाग, अजमेर / जयपुर / बीकानेर / जोधपुर / कोटा / भरतपुर / उदयपुर को भेजकर लेख है की उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, 605-606, सिटी कॉर्पोरेट बिल्डिंग, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302001
4. अपर महाप्रबंधक, राजस्थान ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL), 2 कनकपुरा, ओद्यौगिक क्षेत्र, सिरसी रोड, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

25/5/2017
(एम.के.बैरवा)
अति. मुख्य अभियंता (विद्युत्त)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स – 0141–2222403 ई–मेल – dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB//18/2... – ...2 दिनांक:– 25-06-2018

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका

आबरोड, अकलेरा, आमेट, बाली, बालोतरा, बयाना, बेगूँ, भरतपुर, भिण्डेर, भीनमान, बीकानेर, बिलारा, छबड़ा, छापर, चौमू, डीडवाना, देवली, फतेहनगर सनवाड़, जोबनेर, जैसलमेर, जोधपुर, कानोड़, कपासन, करोली, केसवरायपाटन, खण्डेला, खेतड़ी, कुचामन सिटी, कुशलगढ़, लाखेरी, लालसोट, माण्डलगढ़, माँगरोल, नगर, नागोर, नैनवा, नोखा, फलोदी, पीड़ावा, पीपाड सिटी, पोकरण, प्रतापगढ़, पुष्कर, राजसमंद, रामगजमण्डी, रामगढ शेखावाटी, रानीखुर्द, रतनगढ़, रतननगर, सादडी, सलुम्बर, सांगोद, सागवाडा, शिवगंज, सोजत, सुमेरपुर, सुरतगढ़, तारानगर, तखतगढ़, टोडारायसिंह, विद्याविहार।

विषयः– एलईडी स्ट्रीट लाईट प्रोजेक्ट के भुगतान के क्रम मे।

उपरोक्त क्रम मे लेख है कि आपकी निकाय में प्रथम चरण के तहत ईईएसएल द्वारा एलईडी स्ट्रीट लाईट का कार्य पूर्ण कर दिया गया है! चुँकी आपके निकाय की सग्रहित "अरबन सैस" की शेष राशि, विद्युत बिलो में समायोजन के उपरान्त भी ऋणात्मक आ रही है, अथवा राशि शेष नही रहती है। इसलिए आपके P/D A/c में एलईडी कार्य के लिये ईईएसएल को भुगतान करने हेतु वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा कोई भी राशि नही भिजवायी गयी थी। इस क्रम मे आपको निम्नलिखित पत्र व ई–मेल द्वारा ईईएसएल को स्वंय की आय से नियमानुसार 7 दिवस में भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन अभी तक आपके द्वारा ईईएसएल को भुगतान नही किया गया है। पत्र का विवरण संलग्न एवं निम्नानुसार हैः–

1. क्रमांक : पं.6(ट) (319) लेखा / डीएलबी / अरबन सैस / 2016 2535–37 दिनांक 03.05.2018
2. क्रमांकः– एफ 55( )Engg./CE/DLB/18/944–950 दिनांक 11.05.2018
3. इस विभाग कि ई–मेल आइडी espcdlbjp@gmail.com द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 11.05.2018।
4. क्रमांकः– एफ 55( )Engg./CE/DLB/18/1191–1250 दिनांक 25.05.2018

इसके अतिरिक्त निदेशालय के संबंधित अधिकारियो द्वारा दुरभाष पर कई बार आग्रह किया जा चुका है। आप द्वारा दिनांक 30.05.2018 तक भुगतान किया जाना था इसके उपरान्त भी आपके द्वारा इसे गम्भीरता से नही लिया गया।

भुगतान में विलम्ब होने पर ईईएसएल को भी एलईडी प्रोजेक्ट व्यवस्था सुचारू रखने मे असुविधा रहती है। इसलिए ईईएसएल के अधिकारियो द्वारा भी इस विषय मे सचिव महोदय से निवेदन किया गया।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते है, कि दिनांक 05.07.2018 ... नियमानुसार व एमओयु अनुसार भुगतान करे। अन्यथा आपके विरूद्ध 17 CC की कार्यवाही की जावेगी।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करे व इस ऊर्जा बचत योजना को सफल बनाने मे सहयोग करे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त स...
दिनांक :— ...

क्रमांक :— एफ 55(18)Engg./CE/DLB/ESPC/18/ ...
प्रतिलिपि :—

1. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उप निदेशक, (क्षैत्रिय) स्थानिय निकाय विभाग अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जो... भरतपुर, बीकानेर, कोटा कृपया आपके स्तर पर उपरोक्तानुसार पालना सुनि... कराने हेतु कार्यवाही करे।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, 605–606, सिटी ... बिल्डिंग, मालवीय मार्ग, सी–स्कीन, जयपुर – 302001 – कृपया उपरोक्त निका... सम्पर्क करे एवं आवश्यक रिकार्ड / दस्तावेज उपलब्ध करावे।
4. रक्षित पत्रावली।

(एम.के.बैरवा)
अति. मुख्य अभियंता ...

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403 ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPC/18/ 944–950 दिनांक :– 11-05-2018

क्षैत्रिय उपनिदेशक,
स्थानिय निकाय विभाग
जयपुर / जौधपुर / अजमेर / भरतपुर /
बीकानेर / उदयपुर / कोटा

विषयः– क्षैत्रिय उप निदेशको द्वारा LED Street Light Project के सुगम क्रियान्वयन हेतु संभाग स्तर पर मिंटिग आयोजित कराने व मानिटरिंग करने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान एलईडी स्ट्रीट लाईट प्रोजेक्ट के सुगम क्रियान्यवन हेतु इस विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यो को संपादित करने के लिए आयुक्त / अधिशाषी अधिकारियो को विभिन्न (निम्नलिखित) को पत्रों द्वारा –निर्देशित किया गया था।

निर्देश / कार्य	संदर्भित पत्र क्रमांक एवं दिनांक	नवीन एवं अन्तिम समय सीमा
1. एलईडी लाईटो के संधारणः– इस विभाग की ई–मेल आईडी espcdlbjp@gmail.com ई– मेल आईडी पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट एवं बंद एलईडी लाईटो की शिकायतो एवं निवारण / संधारण सुचना भिजवाने बावत्।	पत्र क्रमांक 1298 दिनांक 24.10. 2017 4293 दिनांक 19.01.2017 (दिशा निर्देश परिपत्र–3)	प्रत्येक महिने कि 15 व 30 तारीख
2. ऊर्जा बचत विवरणः– पूर्व मे भेजे गये फोमेट में एलईडी स्ट्रीट लाईट संबंधित परफोरमा (एनर्जी सेविंग रिपोर्ट, लक्स लेवल रिपोर्ट, Completion cerficate report, Project cost, Annuity Amount इत्यादि की प्रति) प्रमाणित कर भिजवाने हेतु	पत्र क्रमांक 14995 दिनांक 17.06. 2016, 37550 दिनांक 17.07. 2017, 426–610 दिनांक 16.04. 2018, 5724 दिनांक 08.03.2016, 726 दिनांक 25.07.2016, 457–647 दिनांक 04.07.2017, 3847 दिनांक 16.01.2017, 12332 दिनांक 17.02.2017	30 मई 2018
3. नई लाईटो की आवश्यकताः– वर्ष 2018–19 के लिये द्वितीय चरण मे अपने –अपने निकायों में अतिरिक्त एलईडी लाईटो के आवश्यकता के संबंध में संख्या सुचि भिजवाने बावत्। (espcdibjp@gmail.com ई– मेल आईडी	पत्र क्रमांक 726 दिनांक 25.07. 2017, 4587–647 दिनांक 04.07. 2017, 28–218 दिनांक 13.04. 2018	30 मई 2018

पर)		
4. EESL को भुगतानः– कई निकायो में एलईडी लाईट लगाने के कार्य के लिये निदेशालय से निजि निक्षेप खातो में (P.D. Account) में भुगतान योग्य राशि हस्तांतरित हो चुकी है। लेकिन कुछ निकायो द्वारा ईईएसएल कंपनी को भुगतान नही किया गया है। जिन 92 निकायो में "अरबन सैस" की राशि ऋणात्मक है, उन निकायो द्वारा ईईएसएल को स्वंय की आय से भुगतान करने बावत्।	31331 दिनांक 19.12.2017, 653–722 02.05.2018, 2535–37 दिनांक 03.05.2018	30 मई 2018

अन्य पूर्व में दिये गये निर्देशो का विवरणः–

विद्युत निगमो के बिजली बिलो के संबंध में दिनांक 30.12.2017 तक के विद्युत निगमो की बकाया राशि को 60 प्रतिशत करके, निपटान किया जा चुका है। इस अवधि के पश्चात् के बिल वास्तविक उपभोग के आधार पर ही निकायो द्वारा प्रमाणित किये जावे, जिसके लिए सुनिश्चित करे कि सभी एलईडी लाईट विद्युत मीटर से जुडी हो एवं सभी मीटर सही स्थिति में चालु हो। इस बावत पत्र क्रमांक 1097 दिनांक 20.09.2017 (दिशा निर्देश परिपत्र–6) द्वारा पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

एलईडी लाईटो के विद्युत संबंध एवं मीटर चालु नही होने की स्थिति में विद्युत बिलो में उपभोग के अनुकुल राशि नही आती है। जिसके कारण प्रदेश के 92 निकायो में "अरबन सैस" की राशि विद्युत बिलो में समायोजन के उपरान्त भी **ऋणात्मक (–197.69 करोड़ रूपये) आ रही है, इसी वजह से डीएलबी के पत्र क्रमांक 2535–37 दिनांक 03.05.2018 (प्रति संलग्न है) के अनुसार इन निकायो को ईईएसएल को भुगतान योग्य राशि का भुगतान अपने स्वंय की आय से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि इन निकायो पर एक अतिरिक्त वित्तिय भार है। विद्युत निगम के बिलो के प्रमाणिकरण के संबंध में उक्त दिये गये निर्देशो की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।**

अधिकांश निकायो द्वारा इन निर्देशो की पालना नही कि जा रही है। जिसके कारण बन्द एलईडी लाईटो की स्थिति व प्रोजेक्ट की मॉनिटिंग सुगम तरीके से नही हो पा रही है, एवं द्वितीय चरण के तहत नई लाईटो का कार्य प्रारम्भ करने को परेशानी हो रही है।

इसके अतिरिक्त एलईडी लाईटो के सुगम संधारण हेतु निकायो के विद्युत विभाग के कर्मचारियो द्वारा ईईएसएल के साथ माह में दो बार रात्रि को संपूर्ण निकाय क्षेत्र में Night Joint Survey संपादित करवाये तथा प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को संलग्न फारमेट में Night Joint Survey संबंधित निकायो द्वारा इस विभाग की ई–मेल आईडी esccelbjp@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे, जिसके लिए निकायो को पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

अतः सभी क्षैत्रिय उपनिदेशको को पत्र के निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने अधीन निकायो में उक्त कार्यो को सम्पादित करवाने हेतु संभाग स्तर पर आपकी अध्यक्षता में मिटिंग का आयोजन करे, तथा उक्त कार्यो की नियमित मॉनिटिरिंग करे। आवश्यक हो तो निदेशालय के एलईडी प्रकोष्ठ के अधिकारियों को मिटिंग में आमन्त्रित किया जा सकता है।

इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करावें एवं लापरवाही बरतने वाले आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध धारा 17 सीसी के तहत कार्यवाही की जावे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./ESPIC/18/ 951-1144 दिनांक :-11-05-2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजि सचिव, सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
2 आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका।
3 अपर महाप्रबंधक, राजस्थान ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL), 2 कनकपुरा, औद्यौगिक क्षेत्र, सिरसी रोड, जयपुर।
4 अपर महाप्रबंधक, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, 605-606, सिटी कारपोरेट बिल्डिंग, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302001।
5 रक्षित पत्रावली।

11/5/2018
(एम.के.बैरवा)
अति. मुख्य अभियंता (विद्युत)

Scanned by CamScanner